छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

कमांक F-6-01/2019/20-3 रायपुर, दिनांक

प्रेषक,

ए.आर. खान,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रेषिति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE),
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषयः- सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबंद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिंये जाने बाबत्- अशासकीय आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा, छ.ग. ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा (छ0ग0) को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं (Middle Class) तक शिक्षा सत्र 2019-20 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली से संबंद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक F-6-01/2019/20-3 रायपुर, दिनांक 8-3-19

प्रतिलिपिः-

01. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक अनुदान/CBSE/NOC/2018-19/38 दिनांक 24.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

02. कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ ।

03. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ0ग0 ।

04. प्राचार्य, अशासकीय आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा (छ0ग0) ।

05. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
खण्ड–3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटलनगर रायपुर
फोन नम्बर– 0771–331385 Email- cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक / अनुदान / CBSE / NOC / 2018–19 / 38 रायपुर, दिनांक 24. 01.2019

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, रायपुर ।

विषयः–राज्य शासन द्वारा अशा.शिक्षण संस्थाओं को सी.बी.एस.ई.पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्– अशा.**अशा0आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा,कोरबा।**

संदर्भः–जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा का पत्र क्रमांक / 2145 / मान्यता / सी.बी.एस.ई. / 2018 दिनांक 05.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा **अशा0आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा (छ.ग.)** को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6–1 / 2008 / 20–तीन दिनांक 09.07.2013 एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली (C.B.S.E.) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के आधार पर किया गया है।

<u>प्रस्ताव का परीक्षण टीप निम्नानुसार हैः–</u>

1/ संस्था की कार्यकारिणी में छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि / अधिकारी नामांकित किया गया है, (ध्वज 1)

2/ विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। (ध्वज–2)

3/ सी.बी.एस.ई. से संबंद्धता उपरान्त संस्था राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाईडस,रेडक्रास, एन.सी.एसी. एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी, शपथ पत्र के क्रमांक 03 में उल्लेख है। (ध्वज–3)

4/ विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों को गतिविधियों के लिए खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करावेंगे, शपथ पत्र के क्रमांक 04 में उल्लेख है ।(ध्वज–3)

5/ इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण / जांच करने का अधिकार होगा, शपथ पत्र के क्रमांक 05 में उल्लेख है ।(ध्वज–3)

6/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबंद्धता मिलने के उपरांत भी छ.ग.शासन व लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंधन एवं विकास के संबंध में जारी तथा अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, शपथ पत्र के क्रमांक 06 में उल्लेख किया गया है ।(ध्वज–3)

निरंतर पेज 2

O/C

7/ संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में शासन का एक प्रतिनिधि जि.शि.अधि. कोरबा के पत्र क्रमांक 2147 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा प्राचार्य, शास.उ.मा.वि.तुमान वि.खं. करतला जिला कोरबा को शासकीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। (ध्वज–4)

8/ प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे, शपथ पत्र के क्रमांक 08 में उल्लेख है।(ध्वज–3)

9/ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम व प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित की जायेगी। शिक्षण शुल्क लेने में पालको का शोषण नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 09 में उल्लेख है।(ध्वज–3)

10/ छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। संस्था द्वारा छात्रों को उक्त सामग्री किसी दुकान विशेष से क्रय करने को बाध्य नहीं किया जावेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 10 में उल्लेख है ।(ध्वज–3)

11/ शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 11 में उल्लेख है।(ध्वज–3)

12/ संस्था के छात्रों को निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 12 में उल्लेख है।(ध्वज–3)

13/ निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रेम्प की व्यवस्था किया गया है। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी । शपथ पत्र के क्रमांक 13 में पत्र में उल्लेख है।(ध्वज–3)

14/ संस्था को पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं छ.ग.शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी, शपथ पत्र के क्रमांक 14 में उल्लेख है । (ध्वज–3)

सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबंद्वता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अनुदेश के अनुक्रम में निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत की गई है :–

1. **प्रस्तावित शाला को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये।**
   जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा के आदेश क्रमांक/2143/मान्यता/2018–19/दिनांक 05.07.2018 के द्वारा अशासकीय आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा को कक्षा 08 वीं तक के लिये शाला संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। (ध्वज–5)
2. विद्यालय सोसायटी के पास भूमिः– संस्था द्वारा लीज पर भूमि ली गई है। जिसका क्षेत्रफल, कुल 2.5 एकड़ है। बिल्डअप एरिया 1143.00 स्क्वायर मीटर है। खेल मैदान का एरिया 4900.00 स्क्वायर मीटर है। भूमि का नक्सा, अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा प्रदाय प्रपत्र–बी इत्यादि अभिलेख की छायाप्रति। (ध्वज–6)

निरंतर पेज 3..

3. स्कूल में ग्रंथालय, खेल मैदान पेयजल, अग्नि शमन यंत्र, शौचालय इत्यादि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण के रूप में फोटो संलग्न है। (ध्वज–7)
4. संस्था में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक कुल 120 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। संख्या कक्षावार छात्र संख्या की जानकारी संलग्न है। (ध्वज–8)
5. विद्यालय में कुल 17 शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं। स्टाफ की सूची (पद, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान सहित जानकारी) संलग्न है। (ध्वज–9)
6. शिक्षण समिति का नाम राय साहब बनवारी लाल एजुकेशन सोसायटी कोरबा है, पंजीयन क्रमांक 6420 दिनांक 07.01.2017 है। प्रमाण–पत्र एवं समिति की नियमावली व समिति के सदस्यों की सूची आदि की जानकारी संलग्न है। (ध्वज–10)
7. स्कूल में खेल सामग्री, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं शिक्षण सामग्री नक्शा, चार्ट, ग्लोबल इत्यादि उपलब्ध है। (ध्वज–11)
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड अनुसार संबंधित स्कूल का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है । (ध्वज–12)
8. प्रस्ताव के साथ एक वर्ष 2017–18 का आडिट प्रतिवेदन संलग्न है। (ध्वज–13)
12. स्कूल में पालक समिति का गठन किया गया है। (ध्वज 14)
13. स्कूल की फीस संरचना संलग्न है। (ध्वज 15)

जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा उक्त को सी.बी.एस.ई पाठयक्रम के संचालन हेतु अनुशंसा किया गया है। प्रस्ताव पूर्ण है। अतः उपरोक्त बिंदुओं के प्रकाश में **अशा0आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा (छ.ग.)** को सी.बी.एस.ई पाठयक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने बाबत् प्रस्ताव शासन की ओर अनुशंसा सहित प्रेषित् है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संचालक(अका.)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक/अनुदान/CBSE/NOC/2018–19/ 39 — नया रायपुर दिनांक 24.01..2019

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् ।
2. प्राचार्य, अशासकीय आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा, कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

24.1.19

संचालक(अका.)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

O/C

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा
जिला–कोरबा(छ.ग.)

क्रमांक/2785/मान्यता/सी.बी.एस.ई./2024–25 कोरबा, दिनांक 31/7/2024

प्रति,

प्राचार्य,
अशास. आर्यन पब्लिक स्कूल उरगा कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :–सी.बी.एस.ई.पाठ्यक्रम संबंद्धता/संचालन के लिए अनापत्ति देने के संबंध में।
संदर्भ :–आपका आवेदन दिनांक 22.07.2024

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व से संचालित कक्षा नर्सरी से 10 वीं तक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम में शिक्षा सत्र् 2024–25 से कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं तक के लिये सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम संबंद्धता/संचालन करने अनापत्ति चाहा गया है।

अतः उक्त संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विनियम 2009 में वर्णित समस्त नियमों का पालन करने के शर्त पर आपके संस्था को कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक इस कार्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। एवं कक्षा नर्सरी से 10 वीं तक सी.बी. एस.ई.पाठ्यक्रम संबंद्धता/संचालन किया जा रहा है एवं शिक्षा सत्र् 2024–25 से कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं तक के लिये पाठ्यक्रम संबंद्धता/संचालन करने पर इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठां क्रमांक/2786/मान्यता/सी.बी.एस.ई./2024–25 कोरबा, दिनांक 31/7/2024

प्रतिलिपि–

01.सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी.बी.एस.ई.शिक्षा केन्द्र–2 कम्यूनिटी सेंटर प्रीत विहार नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।

02.सचिव,छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ।

03.संचालक,लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.को सादर सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)